1.	विभाग–	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
2.	योजना का नाम –	दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति।
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी –	इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत् (कक्षा 11 व 12) एवं स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में उनकी पारिवारिक, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो, के दृष्टिकोण से शासन द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं को उनके द्वारा आवेदन करने की स्थिति में दिवसीय/ आवासीय छात्रवृत्ति एवं शासन द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
4.	पात्रता की अर्हता –	इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे माता–पिता/अभिभावकों जिनकी सभी श्रोत्रों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक नही है, को विभाग द्वारा पाठ्यक्रमवार स्वीकृत दरों पर छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करने की स्थिति में नियमानुसार छात्रवृत्ति की धनराशि एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि देय है।
5.	आवेदन की प्रक्रिया –	इस योजनान्तर्गत बिन्दु संख्या– 04 में उल्लिखित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले माता–पिता/अभिभावकों के छात्र/छात्रा, छात्रवृत्ति वेबसाइट– http://scholarship.up.nic.in/ पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपना छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र सबमिट कर सकते हैं।
6.	लिंक वेबसाईट –	http://scholarship.up.nic.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अथवा मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण से सम्पर्क किया जा सकता है।